

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पंचम सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

मंगलवार, 5 फरवरी, 2019/16 माघ, 1940 (शक्)

[मुख्य मन्त्री - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री - बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री - कृषि मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री तथा वन मन्त्री].

कुल प्रश्न - 1

भूमि अधिग्रहण मुआवजा

*837 श्रीमती रीता देवी (इन्दौरा):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत NH-21 के अन्तर्गत गांव डमटाल, मोहटली, सूरजपुर व तोकी में भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों को 15,000/- रूपये प्रति मरला मुआवजा प्रदान किया गया तथा साथ लगते पंजाब के क्षेत्र में 3,00,000/- रूपये प्रति मरला मुआवजा दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने हेतु मामला केन्द्र से उठाएगी?

शिमला: 171004.

दिनांक: 24 जनवरी, 2019.

यशपाल शर्मा,

सचिव।